मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः11.04.2025

थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा एक गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 50 राशि गोवंश, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

मीरजापुर पुलिस द्वारा लगातार गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः11.04.2025 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा ग्राम फरहदा में कालकालियां नदी के किनारे दौराने पुलिस मुठभेड़ में गो-तस्कर मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद अकरम निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। मौके से अभियुक्त मोहम्मद वसीम उपरोक्त के कब्जे से 50 राशि गोवंश (गाय व बछड़ा) तथा मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ व गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त —

मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद अकरम निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा जनपद जनपद मीरजापुर उम्र करीब-32 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

50 राशि गोवंश (गाय व बछड़ा),एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0स0- 426/16 धारा-11 DE पशु अतिचार अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0स0- 277/17 धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।
3. मु0अ0स0-207/18 धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।
4. मु0अ0स0-45/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —
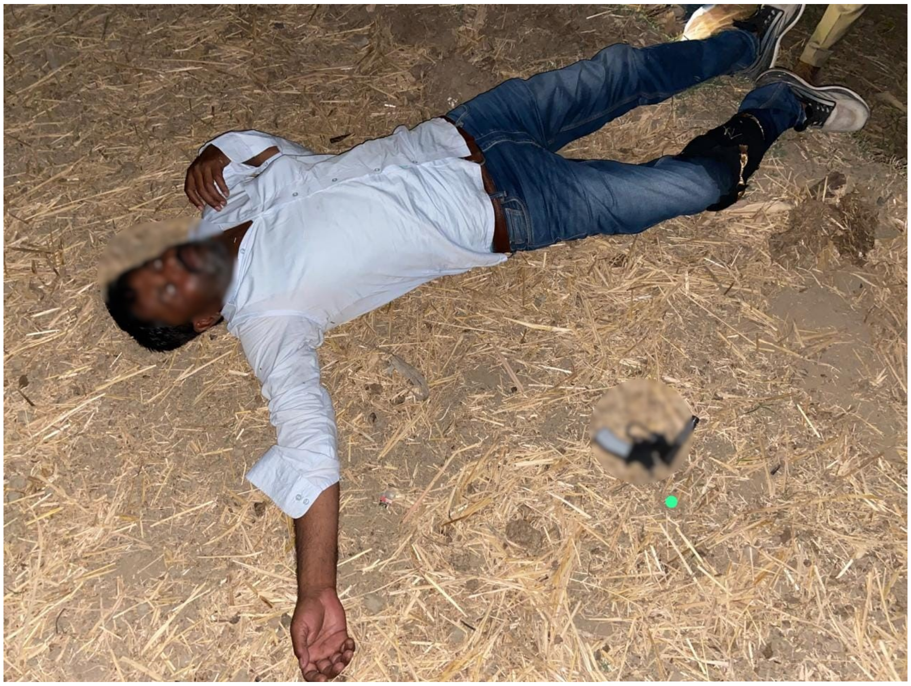
प्रभारी निरीक्षक अहरौरा-अजय कुमार सेठ मय पुलिस टीम।